लघु, सीमान्त व महिला किसानों के अधिकार व रूचि के सापेक्ष पैरवी हेतु प्रत्येक गाँव स्तर पर मोर्चा की एक ईकाई का गठन किया गया मूलतः मोर्चा की इकाई, अधिकार आधारित हस्तक्षेप के साथ–साथ कम लागत अनुकूल कृषि की भी वकालत गाँव स्तर पर करती है। ग्राम संसाधन केन्द्र द्वारा समुदाय के सहयोग से किये गये ग्राम स्तरीय नियोजन को क्रियान्वित कराने में मोर्चा की महती भूमिका रही है। समय–समय पर मोर्चा के सदस्यों द्वारा गाँव के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तक समुदाय की पहुँच बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किया जाता है।

संस्था के प्रशिक्षण केन्द्र पर समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों का क्षमता वर्धन किया जाता है। प्रशिक्षण का माध्यम पूर्णतः सहभागी होता है और ''कर के सीखने'' पर ज्यादा जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को सम्बन्धित विषय के साहित्य भी उपलब्ध कराये जाते है ताकि उनकी समझ बेहतर बन सके। इसी प्रक्रिया में किसानों का एक्सपोजर दूसरे स्थानों (कृषि विश्व विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, शोध संस्थान) पर भी कराया जाता है। परियोजना अन्तर्गत समस्त 30 गाँवों के किसानों ने निम्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

चयनित किसान, मास्टर ट्रेनर, मोटिवेटर, किसान विद्यालय संचालक	जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव जलवायु अनुकूलित खेती, कम लागत खेती जैविक खाद व कीटनाशक बनाने की विधियाँ बीज उत्पादन, बीज शोधन हरी खाद का महत्व, गृहवाटिका समय व स्थान प्रबन्धन
स्वयं सहायता समूह के सदस्य	समूह गठन प्रक्रिया लेखा–जोखा रख रखाव आयजनक गतिविधियाँ
मोर्चा सदस्य	क्षैडर बिल्डिंग

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित अन्तराल पर व आवश्यकतानुसार आयोजित किये जाते हैं। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय विशेषज्ञों व कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कराया जाता है।

एडवोकेसी

परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य है कि छोटी जोत की निगरानी को पुर्नस्थापित किया जाये और नीति निर्धारकों तक किसानों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को एक सही पहचान मिल सके। इस हेतु ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक नीति निर्धारकों से निरन्तर संवाद प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं की पहुँच समुदाय तक बने व इनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, इस हेतु मोर्चा द्वारा संगठित प्रयास जारी है। इसी क्रम में 'मनरेगा' जैसी योजना को एक प्रभावी अनुकूलन तंत्र के रूप में क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया गया और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। जिला प्रशासन द्वारा परियोजना आच्छादित 10 गाँवों को चयनित करते हुए यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि इन गाँवों में 'मनरेगा' द्वारा उन्हीं कार्यों को वरीयता देकर किया जाये जो आपदा द्वारा होने वाले जोखिम को कम करने में तथा गाँव व समुदाय की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो।

इसी क्रम में समुदाय द्वारा स्थानीय स्तर पर चिन्हित किये गये अनुकूलन कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया गया जिनमें मुख्यतः जल निकासी हेतु नहर की सफाई, मार्ग उच्चीकरण, बंधी निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण इत्यादि ऐसे कार्यों को वरीयता देते हुए कार्य योजना का हिस्सा बनाया गया और क्रियान्वयन कार्य प्रक्रिया में है।

संस्था द्वारा गठित मोर्चा के सदस्यों ने सभी गाँवों में मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जिससे ज्यादातर किसानों ने मोर्चा के माध्यम से विकास खण्ड कार्यालय जाकर अपने जॉब कार्ड बनवाये। यह कार्य अभी भी प्रक्रिया में चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया व पैरवी का मन्तव्य है कि चयनित गाँवों को एक मॉडल के रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और इस आधार पर यह वकालत की जाये कि मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन एक बेहतर ढंग से समुदाय की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने हेतु किया जाये और इस आशय का दिशा निर्देश शासन स्तर से जारी किया जाए।

christian aid
पी०पी०ए० कार्यक्रम, क्रिश्चियन एण्ड
नई दिल्ली

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर–273001

जलवायु अनुकूल आजीविका हेतु एक प्रयास

लक्ष्य

मूलतः परियोजना का लक्ष्य है कि छोटी जोत के गरीब किसानों में ऐसी क्षमता का विकास किया जाय जिससे उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सके और उनकी अनुकूलन क्षमता को इस तरह से विकसित किया जाय जिससे वे किसी भी आपदा अथवा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सके तथा आपदा से होने वाली क्षति की भरपाई करते हुए मौसम बदलाव की चुनौतियों को एक लम्बे समय तक सहने में समर्थ हों।

उद्देश्य

- छोटी जोत का ऐसा सशक्त कृषि तन्त्र विकसित करना जो आपदा जोखिम व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो।
- कृषि सहयोगी तंत्र के स्थाईत्व हेतु प्राकृतिक संसाधनों की प्रबन्धन शैली विकसित करना।
- समुचित विस्तार व सूचना तंत्र का विकास जो छोटे, मझोले और महिला किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- महिला किसानों द्वारा विकसित उनकी अनुकूलन क्षमताओं की पैरवी।

परियोजना तहत सम्पन्न गतिविधियाँ

ग्राम स्तरीय संस्थानों का निर्माण

परियोजना द्वारा आच्छादित प्रत्येक गाँव में दो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। कुल 60 समूहों में 30 समूह महिलाओं के हैं। मूलतः बचत समूह होने के साथ ही साथ ये सभी समूह जलवायु अनुकूलन खेती हेतु भी प्रशिक्षित किये गये हैं और अपने गांव के चयनित किसानों से जुड़कर विभिन्न कृषिगत गतिविधियाँ भी अपना रहे हैं। लघु बचत के माध्यम से इन समूहों ने आपसी लेन–देन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और समूहों द्वारा आन्तरिक ऋण प्राप्त कर आयजनक गतिविधियों की शुरूआत की जा चुकी है। समय– समय पर समूह के सदस्यों को जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष जोखिम को कम करने के उपायों पर प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता का विकास किया जाता है।

ग्राम संसाधन केन्द्र

नाजुक समुदाय विशेषतः लघु सीमान्त किसानों के लिए ग्राम स्तर पर खेती एवं संबंधित आधारभूत संसाधनों, सूचनाओं व जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक 5 गाँव के समूह पर एक ग्राम संसाधन केन्द्र का गठन किया गया है। यह एक ऐसा केन्द्र है जिसका संचालन, रख–रखाव, स्वामित्व व निर्णय किसानों द्वारा किया जाता है। यह समस्त गाँवों को खेती से संबंधित उपकरण, सूचनाएं व जानकारियाँ उपलब्ध कराता है जिससे उनके समय व श्रम की बचत होती है और समय से खेती के कार्यों को अपेक्षित परिणाम तक पहुँचा पाते हैं। यह केन्द्र सरकारी विभागों से जुड़ाव बनाकर गाँव में एक वैकल्पिक प्रसार तंत्र की भूमिका निभाता है, जहां से सरकारी योजनाओं तक किसानों की पहुँच आसानी से बन पाती है।

गांव में स्थापित समस्त संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह, किसान विद्यालय, चयनित किसान, मास्टर ट्रेनर, लघु सीमान्त कृषक मोर्चा के साथ सीधे तौर पर जुड़कर उन्हें सहयोग प्रदान करते हुए उनकी देख–रेख करना इस केन्द्र की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

सहभागी तरीके से गाँव की नाजुकता व क्षमता का विश्लेषण कर आवश्यकता आंकलन करते हुए ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना का निर्माण करना व उसे संबंधित विभागों से सामन्जस्य बनाते हुए क्रियान्वित करवाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में समस्त 6 ग्राम संसाधन केन्द्र अपने गांवों में यह प्रक्रिया करते हुए क्रिया–न्वयन का कार्य कर रहे है। नियोजन के दौरान इन्होंने उन कार्यों पर विशेष बल दिया है जो उनके गाँव व समुदाय की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने व आपदा से होने वाले जोखिमों को कम करने में सक्षम व सहयोगी हों।

छोटी जोत को एक सशक्त कृषि तंत्र मॉडल के रूप में विकसित करने हेतु प्रत्येक गाँव में 2 किसानों का चयन किया गया। चयनित समस्त किसानों को कम लागत कृषि, विविधिकृत खेती, मिलवा खेती, समन्वित खेती के साथ ही साथ गृहवाटिका निर्माण, बायो–कम्पोस्ट निर्माण पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान इन किसानों को ऐसे मॉडल भी दिखाए गये जहां किसान सफलतापूर्वक इन गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन सभी किसानों ने अपनी छोटी जोत में इन गतिविधियों को अपनाना शुरू कर दिया है। ये सभी किसान, किसान विद्यालय के सम्पर्क में रहते हुए जलवायु अनुकूल खेती के गुण भी सीख रहे हैं एवं दूसरे किसानों को भी सिखा रहे हैं। संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद सभी किसानों ने बदलते मौसम के सापेक्ष अपने खेत का वार्षिक नियोजन करते हुए उसके अनुरूप कृषि कार्य किया है। किसानों ने समय व स्थान का उचित प्रबन्धन करते हुए खेती कार्य किया जिससे उन्हें लाभ हुआ।

मिश्रित खेती, पकड़ फसल, मचान खेती, गृहवाटिका, समुचित कृषि पद्धति का मिश्रण इन किसानों के यहां देखा जा सकता है। गाँव के अन्य किसान अब इनके खेतों में आकर सीखने की प्रक्रिया में है। पारम्परिक तकनीकी ज्ञान का समुचित प्रयोग करते हुए इन किसानों ने अभिनव प्रयोग किये और उसका लाभ उठाया।

किसान विद्यालय सामान्यतः प्रत्येक गाँव में एक निश्चित तिथि पर संचालित किया जाता है। इसमें गाँव के किसान अपनी कृषिगत समस्याओं के समाधान के अलावा जलवायु अनुकूल व कम लागत की खेती के गुण सीखते हैं। विद्यालय प्रशिक्षित किसानों द्वारा अन्य किसानों को खेती की नई–नई विधा से अवगत कराया जाता है एवं उनके द्वारा की जा रही खेती के बारे में भी जाना जाता है। ताकि मौसम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेती की पद्धति को बदलने या नियोजन करने में आसानी हो सके। आमतौर पर कृषिगत समस्याओं में फसल के रोग, बढ़ती लागत व विपरीत जलवायुगत परिस्थितियों में खेती के उपायों पर ज्यादा चर्चा होती है। इसके अलावा किसानों की जिज्ञासा यह भी रहती है कि वे किस तरह से छोटी जोत व सीमित संसाधनों में अपनी खेती को सफल बनायें।

इन स्कूलों की मदद से किसानों को अपने ज्ञान पर भरोसा बढ़ाने और अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढ़ने पर जोर दिया जाता है। विद्यालय में कृषिगत चर्चाओं के अतिरिक्त पशुओं की बीमारी, कृषि उत्पादों का विपणन, मौसम में बदलाव और खेती पर उसके प्रभाव से लेकर सरकार की नीतियों पर भी चर्चा की जाती है। किसानों को मौसम में हो रहे बदलाव व उनके अनुरूप कृषिगत सुझाव भी दिये जाते हैं। विद्यालय में उपस्थित किसानों को उन खेतों पर भी ले जाया जाता है जहाँ कम लागत कृषि विधि, बहुफसली खेती व जैविक खादों का उपयोग करते हुए खेती की जा रही है।

छोटे किसानों को अपने उत्पाद को विक्रय करने में काफी कठिनाई होती थी और बाजार से उचित जुड़ाव न होने की वजह से बिचौलियों के द्वारा अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा पाते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता था। परियोजना द्वारा आच्छादित गांवों के किसानों को संस्था ने सुरभि जैविक खाद्य स्टोर से जोड़कर इस समस्या का काफी हद तक निदान किया है। यह एक ऐसा केन्द्र है जो सीधे उन किसानों के सम्पर्क में रहता है जो अपना उत्पाद बेचना चाहते है और उनके द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध उत्पादों को केन्द्र द्वारा सीधे गांव से क्रय कर वहीं उसका भुगतान दे दिया जाता है। मुख्य रूप से किसान धान, सरसों, मटर, चना, कोदो, बाजरा, मक्का आदि उत्पादों को सुरभि सेन्टर को देते हैं। सुरभि सेन्टर द्वारा भी किसानों को बाजार के बारे में सूचना दी जाती है कि किस उत्पाद की मांग है। इसी के आधार पर मोटे अनाजों की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ किसानों ने इसे उगाने की शुरूआत भी की है।